न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविधः: 02 / 2017 ::

जीसीएमएस नं. :: 2009 / 00011

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण
रतनाराम पुत्र घीसाराम जाति बावरी निवासी निम्बोल तहसील जैतारण, जिला पालली (राज.)		1. ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल जाति कलाल, निवासी निम्बोल, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज.) 2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण 3. खनिज अभियंता खान एवं भू–विज्ञान विभाग सोजतसिटी, तहसील सोजतसिटी, जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी श्याम पंचारिया अनुपस्थित
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 मदनदास वैष्णव उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 15/3/21

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के प्रस्तुत कर वचना पुत्र चुना कोम रावणा राजपूत के हक में किया गया भू आवंटन खसरा नम्बर 23 रकबा 21 बीघा 2 बीस्वा किये जाने से उसे निरस्त कराने हेतु पेश किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी को बार–बार आवाजें लगाने पर भी कोई भी उपस्थित नहीं हुआ प्रार्थी एवं अप्रार्थी को अनेक बार मौका दिया जा चूका है अन्तिम अवसर देने के उपरान्त भी आज उपस्थित नहीं हुए। उक्त प्रकरण वकील अप्रार्थी उपस्थित हुए है। प्रकरण 2009 से लम्बित है। तथा बहस नहीं कर सन् 2009 से न्यायालय में दर्ज है तथा आदिनांक लम्बित है। आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि कोई प्रभावी रूप से पैरवी होते हुए या प्रकरण में फैसले में किसी भी पक्ष द्वारा कोई रूचि दिखाई गई हो यह नजर नहीं आता है। तथा यह प्रकरण जो कि नियम 14(4) के तहत दर्ज है उसे अनावश्यक रूप से लम्बित कराये जाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है ऐसी स्थिति में पत्रावली अवलोकन के पश्चात मैरिट पर इस प्रकरण में न्यायोचित निर्णय किया जाना पारित किया जाना उचित है।

राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 का नियम 14(4) निम्नानुसार वर्णित है :–

> उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा निरसण नियम 21 के नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्व–प्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्ध करने की जिलाधीश की शक्ति होगी यदि आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो।
>
> परन्तु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कोई भी आदेश ऐसे व्यक्ति का सुनवाई का एक अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अनुसार जिला कलक्टर द्वारा निम्न 3 कारणों से आवंटन आदेश खारिज कर सकते है :–

1. आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन [illegible] प्राप्त किया गया हो।
2. आवंटी द्वारा भू आवंटन [illegible] की पालना नहीं किये जाने पर।
3. आवंटन नियम विरूद्ध किया [illegible]

बिन्दु संख्या 1 के [illegible] प्रार्थना पत्र में प्रार्थी [illegible] साबित करने में असफल रहे है कि आवंटी द्वारा आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन [illegible] करवाया गया है। आवेदक खेती करता था तथा आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 02.06.1971 को आवंटन किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:24:29 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 348 दिनांक 11.06.1971 के गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा जरिये नामान्तरकरण संख्या 1180 दिनांक 04.09.1990 को खातेदार दर्ज हुआ तथा 1992 में आवंटी द्वारा भूमि का बेचाण गजेसिंह को तथा गजेसिंह द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में बेचाण किया गया। इस प्रकार आवंटित आराजी पर पहले आवंटी का बाद में क्रेतागण का कब्जा बदस्तुर है।

बिन्दु संख्या 2 के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ऐसा निर्णयात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का पालन नहीं किया गया है।

बिन्दु संख्या 3 के सन्दर्भ में आवंटी को आवंटन किस नियम के विरूद्ध किया गया है प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। आवंटी वचना को आवंटन खसरा नम्बर 23 की गैर मुमकिन सरकारी भूमि में किया गया है जिसका वर्तमान खातेदार ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल है। जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 22 है। जो पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.04.2009 से स्पष्ट है।

यदि प्रार्थी को नामान्तरकरण को चुनौती देना है अथवा खनन पट्टा लेना चाहता है तो सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तथा राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के अनुसरण में दिनांक 03.06.1971 को जारी आवंटन आदेश ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 23 रकबा 21 बीघा 2 बीस्वा में वचना पुत्र चूना कोम रावणा राजपूत के हक में किये गये उक्त आवंटन को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:24:29 IST
Reason: SelfAttested